छापा — ईओडब्ल्यू के छापे में उजागर हुई 2.36 करोड़ की काली कमाई

गाडरवारा का सेवानिवृत्त सीएमओ निकला धनकुबेर

▶ आलीशान मकान, थार, सोना समेत बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद, बैंक लॉकर खुलना बाकी

जबलपुर । आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने शुक्रवार सुबह ठीक 6 बजे नगर पालिका परिषद गाडरवारा के सेवानिवृत्त प्रभारी सीएमओ योगेंद्र कुमार डिमोले के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस छापेमारी में सीएमओ धनकुबेर निकला । अब तक 2.36 करोड़ से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हो चुका है।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई अभी जारी है। मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, जमीनों के कागजात और बैंक डायरियां जब्त की गई हैं। आरोपी का बैंक लॉकर अभी खोला जाना बाकी है। लॉकर की तलाशी और दस्तावेजों की पूरी स्क्रूटनी के बाद बेहिसाब संपत्ति का यह आंकड़ा कई गुना और बढ़ सकता है।

जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि सेवानिवृत्त सहायक राजस्व निरीक्षक और वर्तमान प्रभारी सीएमओ योगेंद्र कुमार डिमोले पिता अनिरूद्ध ढिमोले ने अपने सेवाकाल में बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति बनाई है। शिकायत के सत्यापन के बाद ईओडब्ल्यू जबलपुर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।

गाडरवारा से लखनादौन तक सर्चिंग

शुक्रवार सुबह एक साथ 6 बजे तीन विशेष टीमों ने गाडरवारा और लखनादौन स्थित सीएमओ के आवासों को चारों तरफ से घेरकर सर्चिंग शुरू की। तलाशी के दौरान आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर संपत्तियां समेत काली कमाई मिली। गाडरवारा स्थित आवास से आलीशान मकान 1 करोड़ की अनुमानित कीमत, 16 लाख की महिंद्रा थार और 5.50 लाख की फोर्ड फिगो, 61 लाख मूल्य का कीमती इंटीरियर और इन्वेंट्री, 3.50 लाख का सोना (209 ग्राम), 16,000 की चांदी (671 ग्राम) और 45,000 नगद, अलग-अलग बैंकों में संचालित 8 एक्टिव खाते मिले। लखनादौन में 30 लाख का मकान, 2.50 लाख का प्लॉट और 70,000 की दुकान, 6 लाख मूल्य की 3 एकड़ कृषि भूमि, 6 लाख का ट्रैक्टर और 1.10 लाख की ट्रॉली, पत्नी गीता डिमोले के नाम पर 2.50 लाख की एफडी मिली । सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लखनादौन शाखा में एक सीलबंद लॉकर मिला।

छिंदवाड़ा जहरीले सिरप कांड में डॉ. प्रवीण सोनी की दूसरी जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने कहा-हिरासत की अवधि के अलावा परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं

जबलपुर। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में 30 बच्चों की मौत मामले में मुख्य आरोपी डॉ. प्रवीण सोनी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि हिरासत की अवधि के अलावा परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एकलपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

छिंदवाड़ा जहरीले सिरप कांड के मुख्य आरोपी डॉ प्रवीण सोनी की तरफ से दायर दूसरी जमानत याचिका में कहा गया था कि उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है और वह विगत 5 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। वह पूरी तरह से निर्दोष है और कफ सिरप निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। ट्रायल में समय लगेगा,जिसके कारण उसे नियमित जमानत का लाभ दिया जाये।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पहली जमानत याचिका विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर गयी थी। जिसमें 30 बच्चों की मौत को गंभीर और संवेदनशील मामले हुए कहा था कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो जनता का न्याय से भरोसा बहुत कम हो जाएगा। केन्द्र सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के बावजूद भी आवेदक ने चार साल से कम बच्चों को फिक्स्ड डोज़ कंपाउंड सिरप दिया गया। सरकारी लैबोरेटरी और ड्रग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि उस कफ सिरप में 46.28 प्रतिशत डायथिलीन ग्लाइकॉल था, जबकि इसकी फार्माकोपिया लिमिट 0.1: प्रतिशत है। डायथिलीन ग्लाइकॉल एक जाना-माना नेफ्रोटॉक्सिक है, जो बच्चों के लिए खास तौर पर जानलेवा है। डॉ. प्रवीण खापेकर कर चेतावनी के बावजूद आवेदक डॉक्टर कफ सिरप लिखता रहा, जिसकी वजह से 4-5 साल से कम उम्र के 26 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हो गई। कथित कफ सिरप ने बड़े पैमाने पर लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया और उन्होंने कप सिरप लिखने के लिए कमीशन भी मिला। एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि हिरासत की अवधि के अलावा परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिसके कारण जमानत आवेदन को निरस्त की जाती है।

रिछाई में नमकीन फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से महिला की मौत

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नमकीन फैक्ट्री में अचानक लिफ्ट टूटकर गिर गई। इस हादसे में लिफ्ट के नीचे दबने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जवाहर नगर अधारताल की रहने वाली मालती केवट (48) शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अपने घर से काम के लिए निकली थीं। वह सुबह करीब 10:20 बजे ही रिछाई के अनमोल नमकीन के कारखाने में पहुँची थीं कि कुछ ही मिनटों बाद यह भयानक हादसा हो गया। शुक्रवार दोपहर 12 बजे उस अचानक भारी भरकम मालवाहक लिफ्ट अचानक नीचे आकर गिर

गई, जब महिला लिफ्ट के किनारे नमकीन के पैकेट समेट रही थी। लिफ्ट लगने से महिला उसमें दब गई और छटपटाताते हुए उसने दम तोड़ दिया।

फैक्ट्री में काम करने वाली अन्य महिला कर्मचारी रीना केवट ने हादसे को देखा। रीना ने तुरंत मालती केवट के भाई महेंद्र को फोन पर सूचना दी कि फैक्ट्री की लिफ्ट अचानक बैठ गई है और मालती उसके नीचे दब गई हैं। खबर मिलते ही मृतिका का 20 वर्षीय बेटा अनूप केवट और अन्य परिजन बदहवास हालत में फैक्ट्री पहुँचे।

परिजनों ने देखा कि मालती लिफ्ट के भारी-भरकम मलबे के नीचे दबी हुई थीं और उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की सूचना मिलते ही अधारताल थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुँची। पुलिस ने लिफ्ट के नीचे से शव को बाहर निकाला।

सुरक्षा मानकों पर खड़े हुए सवाल

प्रत्यक्षदर्शी राम यादव ने बताया कि लिफ्ट के गिरते ही उसकी चपेट में आई मालती को बचाने के लिए काम कर रहे अन्य श्रमिक दौड़े थे। श्रमिकों ने बमुश्किल लिफ्ट को उठाकर उसके नीचे दबी महिला को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लिफ्ट खींचने वाली लोहे की रस्सी टूट जाना प्रथम दृष्टया कारण सामने आ रहा है। श्रमिकों का कहना था कि रस्सी टूट रही थी, जिसके बारे में कारखाने के मलिकों को बताया गया था। हादसे के दौरान कोई भी जिम्मेदार नहीं था। नमकीन निर्माण के दौरान केवल श्रमिक थे। इस हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही और लिफ्ट के मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि लिफ्ट अचानक कैसे गिरी और क्या वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे या नहीं।

घर में लगी आग, झुलसी बुजुर्ग महिला की मौत

नवभारत,जबलपुर। संजीवनी नगर में घर में लगी आग की चपेट में आने से एक 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, संजीवनी नगर निवासी श्रीमती शीला दुबे (72) की सुबह लगभग 11 बजे अपने घर में अचानक लगी आग की चपेट में आ गईं। आग की लपटों से वे बुरी तरह झुलस गईं। परिजनों ने बिना वक्त गंवाए उन्हें इलाज के लिए मोहनलाल हरगोविंद दास अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, उनकी हालत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवा को अस्पताल ने संजीवनी नगर थाने को महिला की मौत की सूचना दी गई।

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव : 20 को मतदान, 21 को परिणाम

जबलपुर। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव के लिए 20 जुलाई सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव में 3313 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके दूसरे दिन 21 जुलाई को मतगणना प्रारंभ होगी और देरशाम तक परिणाम घोषित होंगे।

मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 6 से 8 जुलाई तक नामांकन पत्र वितरण और जमा किए जाएंगे। 9 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 एवं जुलाई को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 13 जुलाई को प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 21 जुलाई को सुबह 10.30 बजे मतगणना शुरू की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव और 12 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इस वर्ष दो उपाध्यक्ष पदों में से एक पद महिला अधिवक्ता के आरक्षित किया गया है। कोषाध्यक्ष का पद भी महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित किया गया है।

इसके अलावा कार्यकारिणी के 12 पदों में से 3 पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सभी मतदाताओं को निर्धारित पदों की संख्या के अनुसार अनिवार्य रूप से मतदान करना होगा। उपाध्यक्ष के दोनों पदों के लिए और कार्यकारिणी के सभी 12 पदों पर मतदान करना आवश्यक है। यदि कोई मतदाता निर्धारित संख्या में मतदान नहीं करता है तो उसका मतपत्र अवैध माना जाएगा। इस मौके पर सहायक चुनाव अधिकारी रजनीश यादव, जय सचदेवा, सुभाष शुक्ला और संजय सोनी भी मौजूद थे।

डीन भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त सीधी भर्ती पर अंतरिम रोक

शत प्रतिशत पदोन्नति के प्रावधान के बीच शासन की प्रक्रिया कठघरे में

जबलपुर। मध्य प्रदेश के पांच मेडिकल कालेजों में डीन नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। प्रथम दृष्टया नियमों के उल्लंघन का मामला मानते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने बुरहानपुर, उमरिया, दमोह सहित पांच नवीन मेडिकल कालेजों में डीन पद पर प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई है। 18 मई 2026 को जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

दरअसल रीवा के वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रोफेसर डॉ. मनोज इंदूलकर की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियम 2023 के अनुसार डीन का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाना अनिवार्य है। ऐसे में प्रत्यक्ष भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना नियमों के प्रतिकूल और विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन है।

एलएचबी रैक के साथ चलेगी रानी कमलापति-अगरतला एक्सप्रेस

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुरक्षा, अधिक आरामदायक यात्रा एवं उन्नत परिचालन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में यात्री सुविधाओं के विस्तार हेतु अधिक से अधिक रेलगाडियों में आधुनिक लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच लगाए जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट गाड़ी संख्या 01665/66 रानी कमलापति-अगरतला-रानी कमलापति एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के रेक को रेल प्रशासन द्वारा परंपरागत आईसीएफ कोचों के स्थान पर चरणबद्ध रूप से अत्याधुनिक एलएचबी कोच लगाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल 09 जुलाई से एलएचबी रेक एवं 23 जुलाई से संशोधित एलएचबी रेक संरचना तथा गाड़ी संख्या 01666 अगरतला-रानी कमलापति स्पेशल 12 जुलाई से एलएचबी रेक एवं 26 जुलाई से संशोधित एलएचबी रेक संरचना के साथ संचालित होगी।

वर्तमान में इसमें सामान्य कोच, 05 एसी-3 टियर कोच, 01 एसी-2 टियर कोच, 11 स्लीपर कोच, 02 गार्ड सह लगेज व ब्रेक वैन सहित कुल 23 कोच हैं। वही एलएचबी रेक संरचना (09 एवं 12 जुलाई से इसमें 04 सामान्य कोच, 05 एसी-3 टियर कोच, 01 एसी-2 टियर कोच, 10 स्लीपर कोच एवं 02 जनरेटरकार सहित कुल 22 कोच होंगे।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57